प्रारुप–2

भाग–1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम :– जनपद–उत्तरकाशी, विकासखण्ड–मोरी के अविद्युतीकृत ग्राम–सालरा का केन्द्र पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य।

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /	:	ग्राम–सालरा का विद्युतीकरण का कार्य परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	:	मानचित्र संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	:	–
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	:	विद्युतीकरण
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	:	संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	:	विद्युतीकरण के उपरान्त क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	:	आरक्षित वन भूमि 3.21 हेक्टेयर, सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.04 हेक्टेयर नाप भूमि 1.05 हेक्टेयर, वन पंचायत शून्य हे0
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	:	लागू नहीं है।
	क) परिवारों की संख्या	:	लागू नहीं है।
	ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	:	लागू नहीं है।
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	:	लागू नहीं है।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही)	:	नहीं।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	:	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण	:	संलग्न है।

दिनांक.....
स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम
मोहर

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
उ०प्रा०का०लि०, देहरादून